स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. KM/20/2018/STGMP/DEOTH/RU-III   दिनांक: 25–06–2019

सिटिंग नोटिस

विषयः प्रार्थी को वेतन के अनुसार वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने तथा नियुक्ति दिनांक से नियमित करने के सम्बन्ध में श्री कड़वा जी मण्डलोई, पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. का दिनांक 0610.2016 का अभ्यावेदन ।

संदर्भ : इस आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.03.2019

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के सिटिंग कक्ष में दिनांक 10–07–2019 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5440-41
26/6/19

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक

सेवा में,

अधिष्ठाता,
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, (मध्य प्रदेश)

प्रतिलिपिः

श्री कड़वा जी मण्डलोई,
पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग,
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ::/ncst.nic.in